

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

पीठासन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी (आर.ए.एस.)
अनवान

अन्तिम डिक्री

वादीगण
1 देरावरसिंह पुत्र दीपसिंह 2 गोपालसिंह
पुत्र हिन्दुसिंह जाति राजपूत निवासी लुणू
तहसील व जिला बाडमेर।

बनाम

प्रतिवादीगण
1 हरेसिंह 2 नीम्बसिंह 3 जालमसिंह
पिसरान मोडसिंह जाति राजपूत निवासी
लुणू तहसील व जिला बाडमेर 4
तहसीलदार बाडमेर।

दावा बाबत 183, 188 रा.का.अ.


मुकदमा नम्बर :- 181/2011

निर्णय दिनांक :- 04/08/22

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी-..... की उपस्थिति में इस वाद में आज
तारीख 04/08/22 को श्री समदरसिंह भाटी, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम
डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादीगण का प्रस्तुत वाद प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया जाता है। खर्चा
पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 04/08/22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा
लगाकर दी गई।


(समदरसिंह भाटी)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	